

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
विविध बैंक प्रकरण संख्या 05 / 2025(GCMS : 2025/5)

केनरा बैंक शाखा शिव चौक, नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर जरिये मुख्य प्रबन्धक केनरा बैंक, श्रीगंगानगर

बनाम

1. मै. सनराईज सोलर इनफ्रा, चक 1 ए छोटी, सेतिया कॉलोनी, गली नम्बर 9, श्रीगंगानगर जरिये प्रो. कशिश शर्मा
2. कशिश शर्मा पुत्र सुभाष चन्द्र शर्मा निवासी चक 1 ए छोटी, सेतिया कॉलोनी, गली नम्बर 9, श्रीगंगानगर
3. सुभाष चन्द्र शर्मा पुत्र श्री राम निवास निवासी चक 1 ए छोटी, सेतिया कॉलोनी, गली नम्बर 9, श्रीगंगानगर



05.02.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राकेश कुमार एवं सुश्री किरण कुमारी ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 07.01.2025 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी मै. सनराईज सोलर इनफ्रा, कशिश शर्मा एवं सुभाष चन्द्र शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 15.00/- लाख रुपये ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 30.11.2023 को 16,00,893/- रुपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुभाष शर्मा द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति भूखण्ड संख्या 100, चक 1 ए छोटी, सक्वेयर नम्बर 56, किला नम्बर 7, सेतिया कॉलोनी, गली नम्बर 09, श्रीगंगानगर साईज 750 वर्गफीट, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाये जाने की प्रार्थना की है।




Handwritten signature

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मै. सनराईज सोलर इनफ्रा, कशिश शर्मा एवं सुभाष चन्द्र शर्मा को ऋण सुविधा के रूप में 15.00/- रूपये (अखरे रूपये पन्द्रह लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 28.09.2022 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुभाष शर्मा ने अपनी अचल सम्पत्ति भूखण्ड संख्या 100, चक 1 ए छोटी, सक्वेयर नम्बर 56, किला नम्बर 7, सेतिया कॉलोनी, गली नम्बर 09, श्रीगंगानगर साईज 750 वर्गफीट, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.11.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हुई है अथवा नहीं? का पता नहीं चलता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी मै. सनराईज सोलर इनफ्रा, कशिश शर्मा एवं सुभाष चन्द्र शर्मा की अचल सम्पत्ति भूखण्ड संख्या 100, चक 1 ए छोटी, सक्वेयर नम्बर 56, किला नम्बर 7, सेतिया कॉलोनी, गली नम्बर 09, श्रीगंगानगर साईज 750 वर्गफीट, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का सम्बन्ध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 01.12.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 01.12.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये है अथवा नहीं? की रसीद एवं प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पता नहीं चलता कि अप्रार्थीगण को नोटिस तामील हुए है अथवा नहीं? प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के हस्ताक्षरयुक्त 13(2) के नोटिस की प्रति पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी सुभाष शर्मा द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।


जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर केनरा बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति भूखण्ड संख्या 100, चक 1 ए छोटी, सक्वेयर नम्बर 56, किला नम्बर 7, सेतिया कॉलोनी, गली नम्बर 09, श्रीगंगानगर साईज 750 वर्गफीट, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Mansu)
(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर